FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई   मुकाम अराई (अजमेर)

- नन्दनी कंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अराई व अन्य

–प्रार्थीगण

बनाम

- अर्जुनसिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अराई व अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर   /2025

ऑनलाइन नंबर 2025/ ....

वकील प्रार्थीः– योगेश शर्मा   वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
7/11/25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 5/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
5/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के तामील शुदा सम्मन लौटकर प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये। वास्ते जवाब हेतु दिनांक 10/12/25 को पेश हो।	प्रतिवादी सं० 5 कोई आपत्ति नहीं है [illegible]
10/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. प्रतिवादी 1 से 7 अनु० / वास्ते [illegible] जवाब हेतु .... पत्रावली दिनांक ...17/12/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर उप०। प्रतिवादी गण बावजूद तामील गैर हाजिर। प्रतिवादी गण 1-6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से उद्घोषित कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2025

1. नन्दिनी कँवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरौई जिला अजमेर (राज.)
2. भंवर कँवर पत्नि स्व. उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज.)
3 राजवीर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)
4. सपना कंवर राठौड पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज)

2 दूर्गासिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)

3. मंगलसिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज)

4. मंगलसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज.)

5. फतेहसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज.)

6. हरिसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धौलपुरिया, तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)
7. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अरॉई

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम धौलपुरीया, तहसील अरॉई जिला अजमेर का स्थाई के निवासी है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की निम्न वर्णित कृषि भूमि वाकै ग्राम धौलपुरीया, पटवार हल्का कालानाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत, तहसील अराँई जिला अजमेर (राज.) में स्थित है।

खाता संख्या नया	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
376	258	787/345	3.2360 हैक्टेयर	बारानी 1
		944/354	0.4519	नहरी 4

प्रार्थीगण की उपरोक्त पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 943/354 अवस्थित है, तथा दक्षिण दिशा में गै.मु. रास्ता के खसरा संख्या 365 अवस्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 7 में न्यस्त है, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 5 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 945/354 व 948/786 स्वंय की कृषि भूमि अवस्थित है। पूर्व दिशा में अप्रार्थी सख्या 4 लगायत 6 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 358, 356, 953/361, 933/353 व 935/353 अवस्थित एवं खसरा

WD

संख्या 934/353 स्वंय की कृषि भूमि है, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 343 व 356 अवस्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के उपरोक्त वर्णित अड़ौसी पड़ौसी खातेदारन के मध्य आपसी सीमाओं को लेकर आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी के खेत की सीमाओं को अप्रार्थीगण जुताई हकाई करते समय तोड फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है लड़ाई झगड़ा करते रहते है। सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के चर्तुदिशा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीण की भूमि के मध्य पत्थरगढी (निशादेही) करवाने चाहते है, ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवंम अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों के सटाकर अप्रार्थीगण की भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पड़ौसी के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तोडते हुए नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रतिवर्ष कृषि भूमि की जुताई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है। अप्रार्थीगण अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढ़ी (निशादेही) नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढ़ी (निशादेही) करवाकर के ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण व उनके परिजन मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है । प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के उपरोक्त वर्णित अड़ौसी पड़ौसी खातेदारन के मध्य आपसी सीमाओं को लेकर आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी के खेत की सीमाओं को अप्रार्थीगण जुताई हंकाई करते समय तोड फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है लड़ाई झगड़ा करते रहते है। सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के चर्तुदिशा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीण की भूमि के मध्य पत्थरगढ़ी (निशादेही) करवाने चाहते है, ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवंम अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों के सटाकर अप्रार्थीगण की भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पडौसी के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़ते हुए नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रतिवर्ष कृषि भूमि की जुताई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है। अप्रार्थीगण अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढ़ी (निशादेही) नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढ़ी (निशादेही) करवाकर के ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण व उनके परिजन मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी (निशादेही) करवाने हेतु पेश करना अति आवश्यक हुआ है।अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण की पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है, को जरिये नोटिस तलब कर मौके पर वरवक्त पत्थरगढ़ी (निशादेही) के उपस्थित होने हेतु एवं अप्रार्थीगण संख्या 7 को पत्थरगढ़ी कर हदबन्दी, पत्थरगढ़ी चिन्हित करने के आदेश प्रदान करना आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या 7 में गै.मु. रास्ते न्यस्त होने तथा भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण ग्राम धोलपुरीया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में दिनांक 11.10.2025 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2025 को मानने से इनकार कर देने पर उत्पन्न हुआ तथा वाद कारण तब तब उत्पन्न होता है जब जब अप्रार्थीगण हंकाई जुताई के वक्त सीमाओं को तोड़ फोड़ कर देते है, वाद कारण निरन्तर जारी है।

प्रकरण दिनांक 7.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 17.12.2025 को बाजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 1 से 6 का जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 17.12.2025 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ग्राम धौलपुरीया, पटवार हल्का कालानाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत,तह0 अराई के खसरा नं0 787/345 रकबा 3.2360 हैक्टेयर, तथा

खसरा नं0 944/354 रकबा 0.4519 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)